


22/11

पत्रावली पेश हुइ  
अधिवक्ता/वादी/पतिवादी, उमवपक्ष/उप  
अनुपस्थित  
भ्रंक्षेयता प्रार्थी/अप्राथी/उमवपक्ष/उप  
अनुपस्थित  
पत्रावली वास्ते पुवच्छिप्ट  
आगामी पेशी दिनांक 12/11/18  
पेश हे (GL)



Web Copy - Not Official

31/11/18

पत्रावली पेश हुइ  
अधिवक्ता/वादी/पतिवादी, उमवपक्ष/उप  
अनुपस्थित  
भ्रंक्षेयता प्रार्थी/अप्राथी/उमवपक्ष/उप  
अनुपस्थित  
पत्रावली वास्ते पुवच्छिप्ट  
आगामी पेशी दिनांक 12/11/18  
पेश हे (GL)

12/11/18 चर्कील चारीगण उपपत्रावली बहस  
सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय  
दिनांक 12/11/18 को पेश हे (GL)

12/11/18 चर्कील चारीगण उपपत्रावली  
का सवलोकन किया गया। चार चारीगण  
अन्तिम डिजी किया जाता है विस्तृत  
निर्णय सलग से लिखवाया जानर  
शामिल फाइल किया गया। पत्रावली  
नाम्बर से काम की जाकर बाद  
तुरतीय तकमीम जाबता सखिल रफ्तार  
है। भारेश बपुर इजलास सुनण्यवसा।

GL  
पेशी कलकत्ता  
पत्रावली पेशी  
सुनण्यवसा

र व तारि  
स हुक्म  
में जारी

3

## प्राथमिक डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवम उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ  
बर्डजलास :- श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)  
अनवान:-

- 1-सुमनराणी पत्नि श्री कृष्णलाल उम्र 39 वर्ष जाति नायक निवासी  
डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 2-सोमादेवी पत्नि श्री मैनपाल उम्र 43 वर्ष जाति मेघवाल निवासी चक 2  
पी.बी.एन. तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)


-वादीगण

### बनाम

- 1- नवतेज सिंह पुत्र श्री सतपाल सिंह जाति रातदासिया निवासी  
डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 2-तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।


-प्रतिवादीगण

वाद सख्या:-261 सन:-2017  
वाद अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादी श्री सोमप्रकाश शर्मा एड0 तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं हैं मे निणार्थ प्रस्तुत होने पर वाद-वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को वादग्रस्त भूमि पर मौका कमीश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि चक नं0 7 एस.टी.जी. के खाता सं0 105/90 के पं0 नं0 88/276 (33) किला नं0 16/253, 17/190 व किला नं0 24/253 है0 कुल 696 है0 कृषि भूमि में मिकर के नाम 394 है0, वादी सं0 2 के नाम 278 है0 व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 024 है0 कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हक व हिरसानुसार अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि के हिसाब से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए रास्ता की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जावे। कमीश्नर फीस 200 रुपये तैय की जाती है जो वादी अदा करेगा।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी-प्रतिवादीगण स्वय अपना-अपना वहन करेगे। आज दिनांक 15/12/2017 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्डाधिकारी  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ